

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक स्थाई भण्डार / 2019 / दिनांक


निदेशक
सूचना एव जन सम्पर्क निदेशालय
राज जयपुर।

विषय: नीलामी सूचना प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा इस कार्यालय के अनुपयोगी/नकारा एव कण्डम कम्प्यूटर आईटम (1) डेस्कटॉप 41 नग (2) सी.पी यू. 41 नग (3) यू.पी.एस बैट्री 41 नग का खुली बोली नीलामी द्वारा निस्तारण की कार्यवाही दिनांक 31.10.2019 को की जानी है। इस हेतु कृपया सलग्न नीलामी सूचना को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे, साथ ही आपके विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करने का श्रम करे।

सलग्न नीलामी सूचना मय सी.डी.।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए
राज जयपुर
दिनांक 10.10.19

क्रमांक स्थाई भण्डार / 2019 / 332

✓ प्रतिलिपि प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया सलग्न नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए
राज.जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: स्थाई भण्डार/नीलामी/2019/332

दिनांक 10.10.19

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के अनुपयोगी/नकारा निम्नलिखित कम्प्यूटर आईटम (1) डेस्कटॉप 41 नंग (2) सी.पी.यू 41 नंग (3) यू.पी.एस.बैट्री 41 नंग का खुली नीलामी द्वारा जहां है, जिस स्थिति/हालत में है निस्तारण किया जाना है। नीलामी की कार्यवाही निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर (स्वास्थ्य भवन) के स्थाई भण्डार अनुभाग में दिनांक 31.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी। नीलामी किये जाने वाले सामान की अनुमानित क्रय कीमत/पुस्तकिकंत मूल्य राशि 1640000/-रूपये (अक्षरे सोलह लाख चालीस हजार रूपये मात्र) है। विवरण विभागीय वेब साइट www.rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता। नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1.	प्रत्येक बोली लगाने वाले को 35000/- रूपये (पैंतीस हजार रूपये मात्र) धरोहर राशि बोली लगाने से पूर्व जमा कराने होंगे।
2.	बोलीदाता के पास उक्त आईटम क्रय करने का भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी ई-वेस्ट पॉलिसी के तहत संबंधित प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
3.	अधिकतम बोली लगाने वाले को सम्पूर्ण राशि उसी समय जमा करानी होगी।
4.	सामान जहां है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आवश्यक रूप से 2 दिवस में उठाना होगा।
5.	सामान की जिम्मेदारी बोलीदाता की स्वयं की होगी, इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6.	जी.एस.टी./ कर, मालभाडा आदि सफल बोलीदाता को पृथक से जमा कराना होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज जयपुर